"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2002—भाद्र 8, शक 1924

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2002

अधिसूचना

क्रमांक 827/परिवहन/2002.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 25 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विनिर्दिष्ट करती है कि मालयान जिसका रजिस्टर्ड लदानभार 3500 कि. ग्रा. से अनधिक है, का स्वामी उस पर उद्ग्रहित जीवनकाल कर का संदाय उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची द्वारा अपेक्षित दिनांक 30-9-2002 तक करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2002

क्रमांक 827/परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 30-8-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 30th August 2002

NOTIFICATION

No. 827/Transport/2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Chhattisgarh Motoryan KaradhanAdhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby specifies that, the owner of the goods carriage having registered laden weight not more than 3500 k.g. shall pay the Life time Tax levied upon him till 30-9-2002 as required by Second Schedule of the said Adhiniyam.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.